



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032023-244780  
CG-DL-E-31032023-244780

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205]  
No. 205]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2023/चैत्र 8, 1945  
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 2023/CHAITRA 8, 1945

भारतीय मानक ब्यूरो  
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना  
नई दिल्ली, 22 मार्च, 2023

संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (554).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण इसमें संलग्न अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं। चौथे स्तंभ में दिये गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए जाने हैं।

## अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	प्रतिस्थापन तिथि	भारतीय मानकों, यदि वापस लिए जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	वापस होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 5464 : 2023 सिट्रिक एसिड, मोनोहाइड्रेट — विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	20 मार्च, 2023	आई एस 5464 : 1995 निम्बूवर्ण, मोनोहाइड्रेट — विशिष्टि	20 अप्रैल, 2023

			(पहला पुनरीक्षण)	
2	आई एस 18187 : 2023 रबड़, कच्चा प्राकृतिक और सिंथेटिक — भंडारण पर सामान्य मार्गदर्शन	20 मार्च 2023	लागू नहीं	लागू नहीं

पी. राजेश, वैज्ञानिक एफ एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी , टी एन एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./731/2022-23]

## BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2023

**Ref: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (554).**— In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column.

### SCHEDULE

SI No.	No., Year & Title of the Indian Standards Established	Date of Establishment	No. , Year & Title of the Indian Standards to be withdrawn, if any	Date of Withdrawal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 5464 : 2023 Citric Acid, Monohydrate — Specification (Second Revision)	20 March, 2023	IS 5464 : 1995 Citric Acid, Monohydrate — Specification (First Revision)	20 April, 2023
2	IS 18187 : 2023 Rubber, Raw Natural and Raw Synthetic — General Guidance on Storage	20 March, 2023	NA	NA

P. RAJESH, Scientist F & DDG (ITS, PRT & TNM)

[ADVT.-III/4/Ety./731/2022-23]